

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पत्र सं०-प०-06/विविध-164/2010
प्रेषक,

1302 (E)w पटना, दिनांक 31/3/17

अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग सहित),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।/
सभी अधीक्षण अभियंता (राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल सहित)
पथ निर्माण विभाग।/
सभी कार्यपालक अभियंता (राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल सहित)
पथ निर्माण विभाग, ।

विषय:- अन्य विभागों के संवेदको को काली सूची में डाले जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा संवेदक को काली सूची में डालने की सूचना दी गई है जो निम्न है:-

क्रं० सं०	संवेदक का नाम	विभाग का नाम	ज्ञापांक/ दिनांक	अभियुक्त
1	श्री हरेन्द्र कुमार ठाकुर ग्राम+पोस्ट-बहेड़ी, जिला- दरभंगा, निबंधन संख्या-733/ 2012, श्रेणी (प्रथम)	ग्रामीण कार्य विभाग	1074 31.01.2017	संवेदक के निबंधन को 10 वर्षों के लिए काली सूची में डाला गया।

अनु० यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह- विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : प्र०-6/विविध-164/2010

1302 (E)w

पटना, दिनांक 31/3/17

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, (अनुश्रवण)/कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग को
अनुलग्नक एवं CD सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोक्त।

(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह- विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

08.03.17

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

सकारण आदेश



3 (कॉपी बट्टा)

395

24593

13/02/17

सकारण आदेश संख्या-14/अ0प्र0-1-260/2016 1094 पटना, दिनांक-31.01.17

विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना के पत्रांक 3267 अनु0 दिनांक 26.10.2016 के द्वारा अपर सचिव, निगरानी विभाग, सूचना भवन, पटना के पत्रांक 2984 अनु0 दिनांक 02.08.2016 (जॉच प्रतिवेदन सहित) सूचित किया गया है कि निविदा समूह संख्या-30 पी0एम0जी0एस0वाई0 - 68 एवं पी0एम0जी0एस0वाई0-71 में प्रथम बार संवेदक श्री हरेन्द्र कुमार ठाकुर को तकनीकी रूप से योग्य घोषित किया गया एवं कार्य आवंटित किया गया। परन्तु मामले में प्राप्त परिवाद की जॉच के उपरान्त श्री हरेन्द्र कुमार ठाकुर द्वारा निविदा में गलत तथ्य समर्पित करने के कारण एस0बी0डी0 के कंडिका- 4.7(i) के तहत स्वीकृत दोनों निविदाओं को अस्वीकृत करते हुए पुनः निविदा आमंत्रित करने की कार्रवाई की गयी। पुनर्निविदा के पश्चात् भी पी0एम0जी0एस0वाई0-71 में पुनः संवेदक श्री हरेन्द्र कुमार ठाकुर को ही कार्य आवंटित कर दिया गया।

अतः निगरानी विभाग के पत्रांक 2984 अनु0 दिनांक 02.08.2016 द्वारा प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते जॉच प्रतिवेदन में दोषी पाये गये संवेदक श्री हरेन्द्र कुमार ठाकुर, ग्राम+पोस्ट- बहेड़ी, जिला, दरभंगा, निबंधन संख्या- 733/2012, श्रेणी- प्रथम को काली सूची में डालने हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराया गया है।

जॉच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए इस संबंध में विभागीय पत्रांक 12764 अनु0 दिनांक 16.11.2016 के द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में संवेदक श्री हरेन्द्र कुमार ठाकुर के द्वारा विभाग में अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया है। प्राप्त स्पष्टीकरण के आलोक में विभागीय पत्रांक 13905 अनु0 दिनांक 13.12.2016 के द्वारा मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना से मंतव्य सहित अनुशंसा विभाग को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 215 अनु0 दिनांक 16.01.2017 के द्वारा सभी प्रतिवेदन पर समीक्षा की गयी। सम्यक रूप से समीक्षोपरांत संवेदक श्री ठाकुर के स्पष्टीकरण को अमान्य करते हुए उन्हें कालीसूची में डालने हेतु अनुशंसा की गयी है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के आलोक में संवेदक श्री ठाकुर को कालीसूची में डालने का निर्णय लिया गया है।

विभागीय समीक्षोपरांत संवेदक को ग्रामीण कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या- 8123 दिनांक 19.12.2007 में उल्लेखित बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका-11 के उप कंडिका- IX एवं पथ निर्माण विभाग के कार्यालय आदेश संख्या 154 दिनांक 18.06.2015 के कंडिका-8 के उप कंडिका- IV के तहत संवेदक श्री हरेन्द्र कुमार ठाकुर, ग्राम+पोस्ट- बहेड़ी, जिला, दरभंगा, निबंधन संख्या- 733/2012, श्रेणी-(प्रथम) को 10 वर्षों के लिए विभागीय काली सूची में डाला जाता है।

30.1.17
(के0एन0 प्रसाद)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-1-260/2016 1094 पटना, दिनांक-31.01.17
प्रतिलिपि- संवेदक श्री हरेन्द्र कुमार ठाकुर, ग्राम+पोस्ट- बहेड़ी, जिला, दरभंगा, निबंधन संख्या- 733/2012, श्रेणी-(प्रथम) सूचनार्थ प्रेषित।

30.1.17
अभियंता प्रमुख

1592603
13/02/17

14/2/17

14/2/17

14/2/17

14/2/17

14/2/17

14/2/17

704

13/2/17

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-1-260/2016 1034 पटना, दिनांक-31.01.17
प्रतिलिपि-अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल ससा^न
विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/ सभी मुख्य
अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल
पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.1.17

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-1-260/2016 1034 पटना, दिनांक-31.01.17
प्रतिलिपि- सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

30.1.17

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-1-260/2016 1034 पटना, दिनांक-31.01.17
प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.1.17

अभियंता प्रमुख